

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़,
जिला-मुरैना

30/30 / 59 / 17-18 / अ-82 / भू-अर्जन / उ०म०रे० सबलगढ़ दिनांक 28 / 4 / 2020

// सूचना-पत्र //

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अन्तर्गत)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर मण्डल

कनाम

काशीराम पुत्र लोटू हि० 115/1020 मु० बंजन्ती बग
हरीविलास आदि।

ग्राम- बकसपुर तहसील सबलगढ़ व जिला मुरैना

द्वारा- तहसीलदार परगना सबलगढ़ जिला मुरैना

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम बकसपुर तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे कमांक व प्रस्तावित रकबा अनुसार अधिासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेल्वे लाईन से बड़ी रेल्वे लाईन के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आपय है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबधित सर्वे कमांक के संबध में अपना हित, प्रतिकर के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकर मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक 31/04/2020 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिषासक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा मुरैना/उप मुख्य इन्जीनियर निर्माण उ०म० रेलवे ग्वालियर में

अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31-07-2024 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र. सं.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकबा है, मे		
			शिखित	असिखित	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त- /पटवारी हल्का- /ग्राम- बकरापुर /तहसील साबलगढ़ जिला मुरैना				
1		1	0.580	निरंक	कृषि
2		2	0.099	निरंक	कृषि
3		3/1	0.496	निरंक	कृषि
4		3/2		निरंक	कृषि
5		5	0.412	निरंक	कृषि
6		6/1	0.371	निरंक	कृषि
7		6/2		निरंक	कृषि
8		7	0.664	निरंक	कृषि
9		8	0.473	निरंक	कृषि
10		9	0.200	निरंक	कृषि
11		10	0.220	निरंक	कृषि
12		11	0.024	निरंक	कृषि
13		18	0.027	निरंक	कृषि
14		19	0.460	निरंक	कृषि
15		20	0.849	निरंक	कृषि
16		21	0.509	निरंक	कृषि
17		22/1	0.712	निरंक	कृषि
18		22/2		निरंक	कृषि
19		38	0.067	निरंक	कृषि
20		39	0.330	निरंक	कृषि

21		40	0.080	निरंक	कृषि
22		41	0.278	निरंक	कृषि
23		44	0.103	निरंक	कृषि
24		50	0.087	निरंक	कृषि
25		52	0.068	निरंक	कृषि
26		53	0.033	निरंक	कृषि
27		54 / 1	0.039	निरंक	कृषि
		54 / 2			
28		55	0.298	निरंक	कृषि
29		56	0.046	निरंक	कृषि
30		57	0.103	निरंक	कृषि
31		59	0.021	निरंक	कृषि
32	/	60	0.193	निरंक	कृषि
33		61 / 1	0.092	निरंक	कृषि
34		61 / 2	0.089	निरंक	कृषि
35		62	0.111	निरंक	कृषि
36		63	0.183	निरंक	कृषि
37		64	0.172	निरंक	कृषि
38		65	0.195	निरंक	कृषि
39		67 / 1	0.405	निरंक	कृषि
40		67 / 2			
41		68	0.070	निरंक	कृषि
42		70	0.120	निरंक	कृषि
43		71	0.070	निरंक	कृषि
44		72	0.141	निरंक	कृषि
45		68 / 61	0.070	निरंक	कृषि
		6			
46		72 / 61	0.243	निरंक	कृषि
		4			
	योग		9.803		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार की

जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृशकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 29/6/2020 को जारी किया गया।

स्थान : सबलगढ

तारीख :

अनुविभागीय अधिकारी
एवं

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ, जिला मुरैना

पृष्ठांकन क्र० /अ-82/भू-अर्जन/उ०म०रे०/2018/ सबलगढ दिनांक : / / 2020
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, परगना सबलगढ की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, बामौर संबंधित पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
एवं

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ, जिला मुरैना